मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 13-02.2017

क्र. एफ 16-01/2016/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा मेसर्स पेसिफिक आयरन मेन्यूफेक्चरिंग लि. द्वारा तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर में रू. 335 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत -

(i) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** 07 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत की सीमा तक शर्तों के अध्याधीन दी जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

(ii) **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्षों हेतु दी जावे।

(iii) **विद्युत शुल्क पर छूट-** ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में प्रावधान अनुसार 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि, 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक शर्तों के अध्याधीन विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

(iv) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

2. अन्य सुविधाएं-

विद्युत टेरिफ में रियायत- मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु जारी विद्युत टेरिफ आदेश में प्रावधालित उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रू. 1.00 (एक रूपया) प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट जो भी कम हो, का लाभ शर्तों के अध्याधीन दिया जावे।

3. जीएसटी प्रणाली लागू होने पर, कंपनी की परियोजनाओं को वेट एवं सीएसटी की सहायता समानुपातिक रूप से निरंतर देय होगी। कुल सहायता राशि इकाईयों द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-01/2016/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 13-.02.2017

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
5. कलेक्टर, जिला जबलपुर।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लि., जबलपुर।
7. संचालक, मेसर्स पेसिफिक आयरन मेन्यूफेक्चरिंग लि., 11, 12 दून मार्केट, जबलपुर रोड, बरगवा, कटनी- 483334

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग